मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३९ सन् २०१९

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा १० का संशोधन.

४. धारा २२ का संशोधन.

५. धारा २५ का संशोधन.

६. नई धारा ३१क का अंत:स्थापन.

७. धारा ३९ का संशोधन.

८. धारा ४४ का संशोधन.

९. धारा ४९ का संशोधन.

१०. धारा ५० का संशोधन.

११. धारा ५२ का संशोधन.

१२. धारा ५३क का अंत:स्थापन.

१३. धारा ५४ का संशोधन

१४. धारा ९५ का संशोधन.

१५. नई धाराएं १०१क और १०१ख का अंत:स्थापन.

१६. धारा १०२ का संशोधन.

१७. धारा १०३ का संशोधन.

१८. धारा १०४ का संशोधन.

१९. धारा १०५ का संशोधन.

२०. धारा १०६ का संशोधन.

२१. धारा १७१ का संशोधन.

२२. मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-३५-२०१७-१-V(१४८), दिनांक १४ नवम्बर, २०१७ का भूतलक्षी रूप से संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३९ सन् २०१९

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के संशोधन हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९.

(२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के निर्देश के रूप में किया जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (४) में, शब्द ''अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

धारा १० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में,—

(क) उप-धारा (१) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण** १.—द्वितीय परंतुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा.'';

(ख) उप-धारा (२) में,—

(एक) खंड (घ) में अन्त में आने वाला शब्द ''और'' का लोप किया जाए;

(दो) खंड (ङ) में, ''परिषद;'' के स्थान पर, शब्द ''परिषद्; और'' शब्द स्थापित किए जाएं;

(तीन) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति;'';

(ग) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परन्तु धारा ९ की उप-धारा (३) और उप-धारा (४) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,

जो उप-धारा (१) और उप-धारा (२) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष के सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा ९ की उप-धारा (१) के अधीन संदेय कर के अधीन, विहित की जाने वाली ऐसी दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,—

(क) मालों या सेवाओं के किसी प्रदाय करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसे प्रदाय में नहीं लगा है, जिससे धारा ५२ के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं.'';

(घ) उप-धारा (३) में, शब्दों, कोष्ठक और अंक ''उप-धारा (१) के अधीन'' दोनों स्थानों पर, जहां कहीं भी आए हैं, के पश्चात्, शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर ''या उप-धारा (२क) के अधीन यथास्थिति,'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ङ) उप-धारा (४) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक ''उप-धारा (१) के'' के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर ''या यथास्थिति उप-धारा (२क)'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(च) उप-धारा (५) में, शब्द कोष्ठक तथा अंक ''उप-धारा (१) के अधीन'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर ''या उप-धारा (२क) के अधीन यथास्थिति,'' अंत: स्थापित किए जाएं;

(छ) उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण १.**—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए, इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''सकल आवर्त'' पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के १ अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदाय का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा.

''**स्पष्टीकरण २.**—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के लिए, अभिव्यक्ति ''किसी राज्य में आवर्त'' में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:—

(एक) किसी वित्तीय वर्ष के १ अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(दो) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति.''.

धारा २२ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २२ में, उप-धारा (१) में, द्वितीय परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक तथा स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, पूर्तिकार जो माल के अन्नन्य पूर्ति में लगा हो की दशा में संकलित आवर्त बीस लाख रुपये से चालीस लाख रुपये से अनधिक की ऐसी राशि तक, ऐसी शर्तों तथा परिसीमा के अधीन बढ़ा सकेगा, जैसी कि अधिसूचित की जाएं,

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है.''.

धारा २५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २५ में, उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(६क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जैसी कि विहित की जाएं, सत्यापन कराएगा या आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गयी है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार विहित करे, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा:

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है.

(६ख) अधिसूचना की तारीख को तथा से प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी रीति में, जैसी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों के अधार पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे सत्यापन कराएगा या आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, वहां ऐसे व्यष्टि को ऐसी रीति में जैसी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा.

(६ग) अधिसूचना की तारीख को तथा से, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, ऐसी रीति में जैसी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, सत्यापन कराएगा या कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे संख्या के भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेंगे:

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गयी है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी रीति में जैसी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, पहचान का वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत किया जाएगा.

(६घ) उप-धारा (६क) या उप-धारा (६ख) या उप-धारा (६ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या राज्य के ऐसे भाग को लागू नहीं होंगे, जैसी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति ''आधार संख्या'' का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, २०१६ (२०१६ का १८) की धारा २ के खंड (क) में उसे समनुदेशित किया गया है.''.

नई धारा ३१क का अंत:स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''३१क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रानिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित किए जाएं, तद्नुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा.''.

धारा ३९ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३९ में,—

(क) उप-धारा (१) और उप-धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(१) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर तथा सदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे.

(२) धारा १० के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वितीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा.'';

(ख) उप-धारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(७) उप-धारा (३) या उप-धारा (५) या उसके परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा (१) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा:

परंतु उप-धारा (१) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा:

परंतु यह और कि उप-धारा (२) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा.''.

धारा ४४ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४४ में, उप-धारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तार को, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.''.

धारा ४९ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उप-धारा (९) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धाराएं अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१०) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर के लिए इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा.

(११) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उप-धारा (१) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा.''.

धारा ५० का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५० में उप-धारा (१) में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा ३९ के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है.".

धारा ५२ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५२ में,—

(एक) उप-धारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेंगे:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.";

(दो) उप-धारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.".

धारा ५३क का अंत:स्थापन.

१२. मूल अधिनियम के अध्याय दस में धारा ५३ के पश्चात्, अध्याय दस में निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**५३क. कतिपय रकमों का अंतरण.**

जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से किसी केन्द्रीय कर, एकीकृत कर या उपकर के लिए इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाते, एकीकृत कर खाते या उपकर खाते को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम को, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी.".

धारा ५४ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, उप-धारा (८) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(८क) जहां केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर के प्रतिदाय का वितरण किया गया है, सरकार, केन्द्रीय सरकार, को उस प्रतिदाय के बराबर रकम अंतरित करेगी.".

धारा ९५ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ९५ में,—

(एक) खंड (क) में,—

(क) शब्द ''अपील प्राधिकारी'' के पश्चात्, शब्द ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) शब्द तथा अंक ''की धारा १०० उप-धारा (१)'' के पश्चात्, शब्द ''या केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२) की धारा १०१ग'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(दो) खंड (ङ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(च) ''राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है धारा १०१ क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी.''.

नई धाराएं १०१क और १०१ख का अंत:स्थापन.

१५. मूल अधिनियम की धारा १०१ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''१०१क.राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी का गठन

इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२) की धारा १०१क के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी माना जाएगा.

१०१ख. राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी को अपील

(१) जहां धारा ९७ की उप-धारा (२) में निर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा ९९ के अधीन गठित अपील प्राधिकारी द्वारा तथा धारा १०१ की उप-धारा (१) या उप-धारा (३) के अधीन किसी अन्य राज्य या राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा २५ में विनिर्दिष्ट से सुभिन्न व्यक्ति है, जो अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, तो वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जहां ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं.

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, आवेदक, संबंधित अधिकारियों और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी:

परंतु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को संसूचित किया गया है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील फाइल कर सकेगा:

परंतु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया

था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लए अनुज्ञात कर सकेगा.

स्पष्टीकरण:—शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति, तीन दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिसको अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था.

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के साथ होगी, और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए.''.

धारा १०२ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा १०२ में आरंभिक भाग में,—

(क) शब्द ''अपील प्राधिकारी'' के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आए हैं, शब्द ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) शब्द तथा अंक ''धारा १०१'' के पश्चात्, शब्द, अंक तथा अक्षर ''या केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२) की धारा १०१ ग यथास्थिति'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ग) शब्द ''या अपीलार्थी'' के स्थान पर, शब्द ''अपीलार्थी'', प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

धारा १०३ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा १०३ में,—

(एक) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१क) इस अध्याय के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा १०१ ख की उप-धारा (१) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन्हें आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के अधीन वही स्थायी खाता संख्यांक जारी किया गया है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी.'';

(दो) उप-धारा (२) में शब्द, कोष्ठक और अंक ''उप-धारा (१)'' के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर ''और उप-धारा (१क) में '' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा १०४ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा १०४ में, उपधारा (१) में,—

(क) शब्द ''प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी'' के पश्चात्, शब्द ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी'' अंत: स्थापित किए जाएं;

(ख) शब्द तथा अंक ''धारा १०१ की उप-धारा (१)'' के पश्चात्, शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक ''या केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२) की धारा १०१ ग'' अंत:स्थापित किए जाएं.

१९. मूल अधिनियम की धारा १०५ में ,— धारा १०५ का संशोधन.

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी की शक्तियां";

(ख) उप-धारा (१) में, शब्द "अपील प्राधिकारी" के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी" अंत:स्थापित किए जाएं;

(ग) उप-धारा (२) में, "अपील प्राधिकारी" के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी" अंत:स्थापित किए जाएं.

२०. मूल अधिनियम की धारा १०६ में,— धारा १०६ का संशोधन.

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी की प्रक्रिया";

(ख) शब्द "अपील प्राधिकारी" के पश्चात्, शब्द "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकारी" अंत:स्थापित किए जाएं;

२१. मूल अधिनियम की धारा १७१ में, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा १७१ का संशोधन.

"(३ क) जहां उक्त उप-धारा के अधीन यथाअपेक्षित परीक्षण करने के पश्चात्, उप-धारा (२) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उप-धारा (१) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा:

परन्तु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "मुनाफाखोरी" से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है.".

२२. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-३५-२०१७-१-V(१४८) दिनांक १४ नवम्बर, २०१७ में, अनुसूची में, अनुक्रमांक १०३ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं और १ जुलाई, २०१७ से भूतलक्षी रूप से अंत:स्थापित की हुई समझी जाएं, अर्थात्:— **मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-३५-२०१७-१-पांच(१४८) दिनांक १४ नवम्बर, २०१७ का भूतलक्षी रूप से संशोधन.**

१	२	३
"१०३क	२६	यूरेनियम अयस्क सांद्र".

(२) उप-धारा (१) के प्रयोजनों के लिए सरकार के पास उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो राज्य सरकार के पास उक्त अधिनियम, की धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी.

(३) कोई प्रतिदाय, सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहीत नहीं किए गए होते यदि उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतर्राज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था.

२. इस अधिनियम से कर दाताओं को एक अच्छे वातावरण में कार्य करने की सुविधा प्राप्त हुई है. तथापि, नई कर पद्धति को कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. कर दाताओं, को विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमों को कारित प्रमुख असुविधाओं में से एक थी वस्तु और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने, लेखापुस्तकों का रख-रखाव करने और कर का भुगतान करने की प्रक्रिया. इस संबंध में, प्रस्तावित नई विवरणी फाइल करने की पद्धति, न्यूनतम कागजी कार्य के साथ-साथ छोटे कर दाताओं के लिए विवरणी की त्रैमासिक फाइलिंग और कर के भुगतान पर विचार करती है. नई विवरणी फाइल करने की प्रणाली को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से तथा उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए और विभिन्न राज्यों के अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों के विरोध को दूर करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को संशोधित किया जाए. उपरोक्त विवाद्यकों के अतिरिक्त, कुछ अन्य परिवर्तन अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के लिए तथा व्यापार करने को सरल बनाने के लिए अपेक्षित है.

३. प्रस्तावित मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९ में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं, अर्थात्:—

(एक) अपेक्षित राष्ट्रीय अपीली प्राधिकारी का सृजन करने के उद्देश्य से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को परिभाषित करने के लिए अधिनियम की धारा २ को संशोधित करना;

(दो) आकस्मिक कर व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति को प्रतिकर चुनने के लिए स्पष्टीकरण और निर्बंधन जोड़ने के लिए धारा १० का संशोधन करना और ५० लाख तक के टर्न ओवर की सेवाओं के करदाताओं को प्रतिकर का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए नई उप-धारा (२क) को अंत:स्थापित करना;

(तीन) अधिनियम की धारा २२ को संशोधित करना जिससे कि रजिस्ट्रीकरण लेने के लिए दायित्वों की सीमा को २० लाख से बढ़ाकर ४० लाख किया जा सके;

(चार) रजिस्ट्रीकरण लेने हेतु पहचान के लिए आधार संख्या या वैकल्पिक या व्यवहार्य साधनों के आधार पर सत्यापन की अनिवार्यता करने के लिए नई उप-धाराएं (६क), (६ख), (६ग) एवं (६घ) को जोड़ने के लिए अधिनियम की धारा २५ को संशोधित करना;

(पांच) इलेक्ट्रानिक तरीके से भुगतान के साधनों में वृद्धि के लिए नई धारा ३१क को अन्त:स्थापित करना;

(छह) नई विवरणी प्रणाली को विनिर्दिष्ट करने और करदाताओं द्वारा अंगीकृत विवरणी फाइल करने के भिन्न-भिन्न प्रकारों के लिए भुगतान के समय को विनिर्दिष्ट करने के लिए धारा ३९ को संशोधित करना;

(सात) वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा में वृद्धि के लिए आयुक्त को सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा ४४ को संशोधित करना;

(आठ) किसी इलेक्ट्रानिक नगद खाते से किसी अन्य इलेक्ट्रानिक नकद खाते में किसी रकम के अंतरण के लिए कर दाताओं को सुकर बनाने के लिए धारा ४९ को संशोधित करना;

(नौ) उस रकम को स्पष्ट करने के लिए जिस पर ब्याज का उद्ग्रहण किया जाए, धारा ५० को संशोधित करना;

(दस) टी डी एस कटोत्रा करने वाले द्वारा विवरण एवं वार्षिक विवरण देने के लिए समय-सीमा को बढ़ाने के लिए आयुक्त को सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा ५२ को संशोधित करना;

(ग्यारह) धारा ४९ में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार नकद खाते से कोष अंतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा ५३क को अन्त:स्थापित करना;

(बारह) तद्नुसार केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर के प्रतिदाय के संवितरण और कोष अंतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए नई उप-धारा ८क को अन्त:स्थापित करने हुए धारा ५४ को संशोधित करना;

(तेरह) अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय अपीली प्राधिकारी के कार्य को परिभाषित करने के लिए धारा ९५ को संशोधित करना;

(चौदह) अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय अपीली प्राधिकारी के गठन के लिए नई धारा १०१क को अन्त:स्थापित करना एवं राष्ट्रीय अपीली प्राधिकारी को अपील करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए नई धारा १०१ख को अन्त:स्थापित करना;

(पंद्रह) राष्ट्रीय अपीली प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के परिशोधन के लिए राष्ट्रीय अपीली प्राधिकारी को सशक्त करने के लिए धारा १०२ को संशोधित करना;

(सोलह) अग्रिम विनिर्णय की प्रयोज्यता को पारिभाषित करने के लिए धारा १०३ को संशोधित करना;

(सत्रह) राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित उन विनिर्णयों के कतिपय परिस्थितियों में शून्य होने को स्पष्ट करने के लिए धारा १०४ को संशोधित करना जिन्हें आवेदक या अपीलार्थी ने इस कपट द्वारा या मुख्य तथ्यों को छिपाकर या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया हो;

(अठारह) राष्ट्रीय अपीली प्राधिकारी की शक्तियों को परिभाषित करने के लिए धारा १०५ को संशोधित करना;

(उन्नीस) राष्ट्रीय अपीली प्राधिकारी को स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए सशक्त करने के लिए धारा १०६ को संशोधित करना;

(बीस) इस प्रकार की गई मुनाफाखोरी रकम के बीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के उद्ग्रहण के लिए प्रति-मुनाफाखोरी प्राधिकारी को सशक्त करने के लिए धारा १७१ को संशोधित करना;

(इक्कीस) धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ ए-३-३५-२०१७-१-पांच (१४८) दिनांक १४ नवम्बर, २०१७ को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए संशोधित करना.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ दिसम्बर, २०१९.

बृजेन्द्र सिंह राठौर
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड क्रमांक १, ४, ५, ६, ७, १२, १३ एवं २२ में निम्नानुसार प्रत्यायोजन संबंधी प्रस्थापनाएं की गई हैं:—

खण्ड क्रमांक १—अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को, विभिन्न तारीखों को अधिसूचना जारी कर लागू करने के लिए;

खण्ड क्रमांक ४—जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर करदाताओं के पंजीयन हेतु टर्नओवर की सीमा २० लाख वार्षिक से बढ़ाकर ४० लाख वार्षिक करने;

खण्ड क्रमांक ५—पंजीयन आवेदन के साथ पहचान हेतु आधार के अतिरिक्त अन्य केई वैकल्पिक पहचान-पत्र परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित किए जाने;

खण्ड क्रमांक ६—जीएसटी परिषद की सिफारिश पर ऐसे करदाताओं को वर्गीकृत किये जाने जो माल और सेवाओं के लिए प्राप्तकर्ताओं से केवल डिजिटल मोड पर भुगतान प्राप्त करेंगे;

खण्ड क्रमांक ७—जीएसटी परिषद की सिफारिश पर पंजीयन करदाताओं के ऐसे वर्ग को अधिसूचित करने जिनके द्वारा त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत की जावेगी;

खण्ड क्रमांक १२—किसी करदाता द्वारा अपने कैश लेजर में SGST के मद से CGST और IGST के मद में राशि अंतरित कर उतनी राशि उन मदों में अंतरित किये जाने;

खण्ड् क्रमांक १३—केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर की जिस राशि की वापसी दी गई है उतनी राशि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अंतरित किये जाने; तथा

खण्ड क्रमांक २२—जीएसटी परिषद की सिफारिश पर अधिनियम की धारा ११(१) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३५-२०१७-१-पांच (१४८), दिनांक १४ नवम्बर, २०१७ की प्रविष्ट क्रमांक १०३ की भूतलक्षित प्रभावशीलता १ जुलाई, २०१७ से किए जाने;

के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाये जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) से उद्धरण

* * * *

धारा २ (४) ''न्यायनिर्णायक प्राधिकारी'' से इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चिय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा १७१ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्राधिकारी नहीं है;

* * * *

धारा १० (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा ९ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नही है, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो,—

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त और संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(ख) अनुसूची २ के पैरा ६ के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त और संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में के आवर्त और संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा:

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपए की उक्त सीमा को एक करोड़ पचास लाख रुपए, से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए:

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा [अनुसूची २ के पैरा ६ के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न] या पांच लाख रुपए, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकेगा.

(२) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,—

(क) उपधारा (१) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक आवक प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा ५२ के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए:

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का [आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के अधीन जारी] स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस धारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं.

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा.

(४) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उपधारा (१) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा.

(५) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा ७३ या धारा ७४ के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शस्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे.

धारा २२ (१) किसी राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय को करने वाला प्रत्येक प्रदाता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका सकल आवर्त बीस लाख रुपए से अधिक है:

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका सकल आवर्त दस लाख रुपए से अधिक है:

परन्तु यह और कि सरकार विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद् की सिफारिशों पर पहले परंतुक में निर्दिष्ट समय आवर्त को दस लाख रुपए से ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी जो बीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो इस प्रकार अधिसूचित की जाए.

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिन से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा.

(३) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, अंतरिति या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा.

(४) उपधारा (१) और (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैसा भी मामला हो, स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या अंतरण की दशा में उच्च न्यायालय, अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निर्विलियन के मामले, अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाण-पत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) अभिव्यक्ति ''सकल आवर्त'' में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्ति, चाहे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी मालिकों की ओर से सम्मिलित है;

(ii) रजिस्ट्रीकृत जॉब वर्कर द्वारा जॉब वर्क पूर्ण करने के पश्चात्, मालों की आपूर्ति, धारा १४३ के निर्दिष्ट प्रधान द्वारा मालों की आपूर्ति मानी जाएगी और ऐसे मालों में रजिस्ट्रीकृत जॉब वर्कर का संकलित व्यापारवर्त सम्मिलित नहीं होगा;

(iii) अभिव्यक्ति विशेष प्रवर्ग राज्यों से अभिप्रेत होंगे, जम्मू और कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तथा उत्तराखंड राज्य के सिवाय, संविधान के अनुच्छेद २७९क के खंड (४) के उपखंड (छ:) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य.

धारा २५ (१) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यह और की किसी इसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, २००५ में यथापरिभाषित कोई इकाई है या एक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता होने के चलते, उसे एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारोबार के स्थान से सुभिन्न है.

स्पष्टीकरण.—प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से प्रदाय करता है, ऐसे राज्य, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, ऐसे राज्य में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा.

(२) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा:

परन्तु इसे किसी व्यक्ति को, जो राज्य में कारबार के बहु स्थान का धारक है, को कारबार के इसे प्रत्येक स्थान के लिए उन शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा.

(३) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे.

(४) एक व्यक्ति जिसमें एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण ऐसे चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक की बाबत् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा.

(५) जहां एक व्यक्ति जिसने एक स्थापन की बाबत् राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जाएगा.

(६) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने के लिए आय-कर अधिनियम, १९६१ के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा:

परंतु व्यक्ति जिससे धारा ५१ के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा.

* * * *

धारा ३९ (१) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन या इससे पूर्व को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा.

(२) धारा १० के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, राज्य के भीतर टर्नओवर, कोई माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् १८ दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा.

(३) धारा ५१ के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटैती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, की गई है, की विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप में देगा.

(४) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक करयोग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् १३ दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा.

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलैंडर मास के अंत के पश्चात् २० दिन के भीतर या या धारा २७ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा.

(६) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परंतु केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

(७) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) या उपधारा (२) या उपधारा (५) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा.

(८) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है. प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं.

(९) धारा ३७ और धारा ३८ के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (१) या उपधारा (२) या उपधारा (३) या उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा:

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(१०) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है.

* * *

धारा ४४ (१) इनपुट सेवा वितरक, धारा ५१ या धारा ५२ के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कारधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के पश्चात् ३१ दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा.

* * *

धारा ४९ (१) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किया गया प्रत्येक जमा का ऐसे व्यक्ति की इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में प्रत्यय किया जाएगा.

(२) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वयं निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा ४१ के अनुसरण में संधारित किया जाएगा.

(३) इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा.

(४) इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा.

(५) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय बही में निम्नलिखित के लेखे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम,—

(क) एकीकृत कर का उपयोग पहले एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ख) केन्द्रीय कर का उपयोग पहले केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिये किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर का संदाय करने के लिये किया जाएगा;

(ग) राज्य कर का उपयोग पहले, राज्य कर का संदाय करने के लिये किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर का संदाय करने के लिये किया जायेगा;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिये किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदय करने के लिये किया जाएगा;

(ङ) केन्द्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिये लिए नहीं किया जाएगा.

(६) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय वही में शेष का धारा ५४ के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा.

(७) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलेक्ट्रोनिक उत्तरदायित्व रजिस्टर के अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संधारित किया जाएगा.

(८) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) स्वयं निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य;

(ख) स्वयं निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य;

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन अवधारित मांग भी है.

(९) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, से यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पारित कर दिया है.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में जमा करने की तारीख समझा जाएगा;

(ख) पद,—

(i) ''कर शोध्य'' से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है; और

(ii) ''अन्य शोध्य'' से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है.

* * *

धारा ५० (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किन्तु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिये शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी.

(३) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा ४२ की उपधारा (१०) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा ४३ की उपधारा (१०) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिश पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा.

* * *

धारा ५२ (१) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा :

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ४९ की उपधारा (६) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा.

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, १९४७ के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा ५५ के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी प्रदायों के लिये संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिये ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें आपूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा.

(३) उपधारा (१०) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा:

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा,—

(i) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय;

(ii) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदायों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णत: छुट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है:

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है:

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है.

(४) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी प्रदायों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा मास के दौरान उपधारा (१) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा.

(५) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा की जाने वाली मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी प्रदायों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा के अधीन संग्रहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् ३१ दिसबंर से पूर्व इलेक्ट्रोनिक रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा.

(६) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमत: स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (५) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा.

(७) समुचित अधिकारी उपधारा (५) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा.

(८) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है,—

(क) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर कर का प्रतिदाय;

(ख) उपधारा (३) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय;

(ग) आपूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णत: या भागत: उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है;

(घ) धारा ७७ के अनुसरण में कर प्रतिदाय;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया हो; या

(च) आवेदकों से ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज.

(९) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (८) के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा.

(१०) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (३) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी,—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत्त रहती है, कटौत्री कर सकेगा.

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है.

११. जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या और कार्यवाहियों की विषय वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा कि वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा.

१२. जहां उपधारा (११) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा ५६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप व प्रतिदाय का हकदार हो जाता है.

१३. इस धारा में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा २७ की उपधारा (२) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा ३९ के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी है.

१४. इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जायेगा यदि रकम एक हजार रुपए से कम है.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(१) "प्रतिदाय" में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की आपूर्ति पर कर प्रतिदाय या उपधारा

(३) के अधीन यथा उपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है.

(२) ''सुसंगत तारीख'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,—

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख किसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं; या

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की आपूर्ति की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख,—

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की आपूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की संसूचना की तारीख;

(ङ) उपधारा (३) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उदभूत होता है;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किय जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख.

* * *

धारा ५४.

(१) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा :

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ४९ की उपधरा (६) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा.

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषईकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, १९४७ के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा ५५ के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी प्रदायों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही जिसमें आपूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा.

(३) उपधारा (१०) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा:

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जायेगा,—

(i) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय;

(ii) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदायों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णत: छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है:

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है:

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, को प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है:

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है.

(४) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे,—

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा ३३ में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है:

परन्तु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रुपए से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है.

(५) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा ५७ में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा.

(६) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमत: स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (५)के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा.

(७) समुचित अधिकारी उपधारा (५) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा.

(८) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रदाय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है,—

(क) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर कर का प्रतिदाय;

(ख) उपधारा (३) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय;

(ग) आपूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णत: या भागत: उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है;

(घ) धारा ७७ के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया हो, या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज.

(९) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (८) के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा.

(१०) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (३) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी,—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किन्तु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सेकगा.

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है.

(११) जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या और कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधाारित करे, विधारित कर सकेगा.

(१२) जहां उपधारा ११ के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा ५६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है.

(१३) इस धारा में अंतविष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा २७ की उपधारा (२) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा ३९ के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी है.

(१४) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जायेगा. यदि रकम एक हजार रुपये से कम है.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(१) ''प्रतिदाय'' में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की आपूर्ति पर कर प्रतिदाय या उपधारा (३) के अधीन यथाउपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है.

(२) ''सुसंगत तारीख'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,—

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं; या

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की आपूर्ति की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख,—

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की आपूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की संसूचना की तारीख;

(ङ) उपधारा (३) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख.

* * *

धारा ९५—इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अग्रिम विनिर्णय'' से किसी प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा किसी आवेदक को धारा ९७ की उपधारा (२) या धारा १०० की उपधारा (१) में मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम विनिश्चय अभिप्रेत है;

(ख) ''अपील प्राधिकारी'' से धारा ९९ के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) ''आवेदक'' से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) ''आवेदन'' से धारा ९७ की उपधारा (१) के अधीन प्राधिकारी को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) ''प्राधिकारी'' से धारा ९६ के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

* * *

धारा १०२ प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी धारा ९८ या धारा १०१ के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट गलतियों को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी गलती प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश की तारीख से छह मास के भीतर लाई जाती है:

परन्तु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है.

धारा १०३—(१) इस अध्याय के अधीन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित कर बाध्यकर होगा,—

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिये धारा ९७ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय बाध्यकर होगा सिवाय तब तक मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई हों.

* * *

धारा १०४—(१) जहां अपील प्राधिकारी यह पाता है कि धारा ९८ की उपधारा (४) के अधीन या धारा १०१ की उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो.

स्पष्टीकरण—धारा ७३ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) या धारा ७४ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी.

* * *

धारा १०५—(१) प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,—

(क) खोज और निरीक्षण ;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना.

(२) प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी धारा १९५ के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा १९३ और धारा २२८ के अर्थांतर्गत और भारतीय दंड संहिता की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी.

धारा १०६—प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी को इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी.

* * *

धारा १७१—(१) किसी माल या सेवाओं या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में किसी कमी को मूल्यों में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को दे दी जाएगी.

(२) केन्द्रीय सरकार यह परीक्षा करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से वास्तव में परिणामत: माल और सेवाओं या उसके द्वारा प्रदाय किए गए दोनों के मूल्यों में अनुरूप कमी हुई है, परिषद् की सिफारिशों पर, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिसूचना द्वारा, प्राधिकारी का गठन या किसी विद्यमान प्राधिकारी को सशक्त बना सकेगी.

(३) उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी यथाविहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.